फर्द अहकाम

न्यायालयः अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रार्थीः कल्पना मिनरल्स एण्ड केमिकल्स **विपक्षीः** वना पिता सेरा बलाई व अन्य

किस्म मुकदमाः 14(4) आवंटन निरस्त **पत्रावली संख्याः** 02 **वर्षः** 2019 **RCMS NO**-2019/00021

क्र.स.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की
06.02.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. पर अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 व 4 द्वारा की गई बहस का राजस्व रेकर्ड के मुकाबले अध्ययन किया। मामले मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. के 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है, जिनमे से एक दिनांक 10.10.2019 को एवं दुसरा दिनांक 30.01.2020 को प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे विपक्षी संख्या 1 श्री वना एवं विपक्षी संख्या 3 श्री सोवन का स्वर्गवास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व हो जाने से त्रुटिवश पक्षकार बनाना रह जाने का उल्लेख किया है एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक के वारिसान के नाम रेकर्ड पर लिये जाने बाबत अनुरोध किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे ए.आई.आर. 2018 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 490 की प्रति न्यायिक दृष्टांत के रूप मे पेश की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि मृतक व्यक्ति के नाम से कोई दावा/अपील/प्रा.पत्र नहीं चल सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र भी सलंग्न नहीं है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता अपने समर्थन मे आर.बी. जे. 2019 पृष्ठ 767, आर.आर.डी 1959 पृष्ठ 73, ए.आई.आर 1977 पृष्ठ 180, ए.आई.आर 1977 पृष्ठ 137, ए.आई.आर 1978 पृष्ठ 294, आर.बी.जे 2012 पृष्ठ 110, आर.आर.डी 1993 पृष्ठ 314 की प्रति न्यायिक दृष्टांत के रूप में पेश की। उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु उक्त मामले मे विपक्षी संख्या 1 एवं 3 का निधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. के 2 प्रार्थना प्रस्तुत कर वारिसान का नाम रेकर्ड पर लिये जाने हेतु अनुरोध किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रथम प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2019 एवं द्वितीय प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2020 को प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. मे प्रस्तुतकर्ता के न तो हस्ताक्षर उपलब्ध है एवं न ही प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त द्वितीय प्रार्थना पत्र, प्रथम प्रार्थना पत्र के लगभग तीन माह बाद प्रस्तुत किया है एवं इसके साथ भी शपथ पत्र संलग्न नही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र बिना किसी जांच के प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. भी बिना किसी जांच, बिना शपथ पत्र के प्रस्तुत कर दिया गया है, जो विधिनुरूप नही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टान्त ए.आई.आर. 2018 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 490 प्रकरण मे अलग परिस्थितियां होने से चस्पा नहीं होता हैं। ऐसी ि स्थति में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण मे कार्यवाही विपक्षी संख्या 1 एवं 3 के विरूद्ध दावा/प्रा.पत्र अबेट होने से इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता यदि चाहे तो नियमानुसार जांच उपरान्त नवीन सिरे से नवीन आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.02.07 11:09:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: